भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1965
जिसका उत्तर मंगलवार, 3 मार्च, 2020 को दिया जाएगा

उपभोक्ता संरक्षण नियम

1965. श्री गौतम गंभीरः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2019 का प्रारूप तैयार किया है;
(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने इसके लिए कोई ऑफ़लाइन परामर्श भी किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): जी, हां। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2019 संबंधी मसौदा नियम विभाग की वेबसाइट पर हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए अपलोड किए गए थे। इन मसौदा नियमों में ई-कॉमर्स लेन-देन से पूर्व, दौरान तथा बाद में, ई.- कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाने तथा उपभोक्ताओं के हितो को संरक्षित करने के लिए उपबंधों का प्रावधान है।

(ग) और (घ): ई.-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए ई.-कॉमर्स नियमों का मसौदा तैयार करते समय परामर्श भी लिए गए हैं।

****